भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-190

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

'उदय' योजना का प्रभाव

***190. श्री टी.जी. वेंकटेशः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत वितरण करने वाली सरकारी कंपनियों की दशा को फिर से ठीक करने की दृष्टि से वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरैंस योजना (उदय) का इन कंपनियों पर गलत प्रभाव पड़ने लगा है और इसे नए ऋणों को और बढ़ाने के एक और अवसर के रूप में तब्दील किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'उदय' के कार्यान्वयन की समीक्षा की है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार इस योजना को अक्षरशः लागू करने और विद्युत वितरण कंपनियों की योजना को ऋणों को और बढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल न किए जाने का निर्देश देने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"उदय योजना का प्रभाव" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 190 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : जी, नहीं। उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना (उदय) का उद्देश्य राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के संधारणीय प्रचालनात्मक तथा वित्तीय आमूल-चूल परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्याज के बोझ, विद्युत एवं विद्युत हानियों की लागत में कमी लाना है।

उदय में केवल कार्यशील पूंजी के लिए डिस्कॉमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के वित्त पोषण की व्यवस्था है तथा यह केवल पिछले वर्ष के राजस्व के 25% की सीमा तक है। उदय में यह भी व्यवस्था है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं डिस्कॉमों को हानि के वित्त पोषण तथा यदि कोई वर्तमान हानियां हैं तो उन्हें राज्यों के साथ विद्युत मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दी गई हानि ट्रेजेक्ट्री की सीमा तक ही वित्त पोषित किया जाएगा। ऐसे वित्त पोषण राज्य गारंटी के अनुसमर्थन से राज्यों द्वारा जारी किए गए बॉण्डों अथवा डिस्कॉम के द्वारा जारी किए गए बॉण्डों के माध्यम से किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, उदय में यह भी व्यवस्था है कि राज्य श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉमों की भावी हानियों को भी वहन करेगा।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, उदय में भाग लेने वाले राज्यों की ब्याज लागत में पिछले वित्तीय वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) के पहले 9 महीनों में लगभग 11,989 करोड़ रुपये की कमी आई है। इस प्रकार, उदय में नए ऋणों के बोझ को और बढ़ने देने के लिए अन्य विंडो खोले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) : उदय के कार्यान्वयन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। उदय के अंतर्गत भागीदारों के निष्पादन की बारीकी से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। यह समिति नियमित अंतरालों पर भागीदार राज्यों के प्रचालनात्मक और वित्तीय मानदंडों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य विशिष्ट संकेंद्रित बैठकें भी शुरू की गई हैं।

उदय के अंतर्गत डिस्कॉमों द्वारा सूचित किए गए अनुसार निष्पादन के ब्यौरे वेब पोर्टल www.uday.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रमुख मानदंडों के संबंध में निष्पादन **अनुबंध** में संलग्न हैं।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है तथा विद्युत का वितरण और संबद्ध कार्यों का प्रबंधन राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉमों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उदय एक वैकल्पिक स्कीम है। तथापि, उदय के अंतर्गत समझौता-ज्ञापनों (एमओयू) में शामिल सभी पक्षकारों, राज्य तथा उनके डिस्कॉमों सहित, पूरी करने के लिए सुपरिभाषित प्रतिबद्धताएं हैं। भारत सरकार इस स्कीम के कार्यान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है तथा उदय के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता कर रही है। उदय के अंतर्निर्मित नियंत्रण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि ऋण का बोझ न बढ़े।

****

अनुबंध

"उदय योजना का प्रभाव" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 20.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 190 के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य का नाम	उदय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही के दौरान प्रमुख प्राचलों में प्राचल-वार लक्ष्य और उपलब्धियां																										
	एटीएंडसी हानियां [%]			एसीएस-एआरआर जीएपी [रु./यूनिट]			फीडर मीटरिंग (शहरी) [सं.]			फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) [सं.]			डीटी मीटरिंग (शहरी) [सं.]			डीटी मीटरिंग (ग्रामीण) [सं.]			घरेलू कनेक्शन (लाख)			फीडर सुधार [सं.]			फीडर पृथक्करण [सं.]		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
गुजरात	13.96	13.69	100	0.01	-0.94	100.00	0.00	67.00	100.00	0.00	181.00	100.00	6189.00	9169.00	100	80561.00	45794.00	57	1.43	1.76	100	3543.00	4983.00	100	0.00	206.00	100
पंजाब	15.30	21.20	0	0.37	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13347.00	2000.00	15	35408.00	0.00	0	0.00	0.00	0	7938.00	4300.00	54	0.00	0.00	0
कर्नाटक	16.24	15.90	100	0.42	0.35	100.00	4.00	5.00	100.00	9.00	10.00	100.00	1953.00	2097.00	100	10910.00	12187.00	100	0.56	0.59	100	643.00	387.00	60	234.00	132.00	56
गोवा	15.11	12.60	100	0.68	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0	399.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
आंध्र प्रदेश	9.25	11.67	0	0.23	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0	2000.00	0.00	0	2.83	4.10	100	32.00	31.00	97	106.00	0.00	0
बिहार	36.45	47.05	0	1.33	0.88	100.00	0.00	0.00	0.00	794.00	165.00	20.78	23499.00	0.00	0	27362.00	0.00	0	17.93	8.20	46	14128.00	1505.97	11	0.00	0.00	0
झारखंड	28.42	34.13	0	1.76	2.51	0.00	0.00	25.19	100.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	20000.00	0.00	0	6.00	1.00	17	210.00	0.00	0	115.00	0.00	0
राजस्थान	28.26	28.79	0	0.35	0.83	0.00	153.00	141.00	92.16	1598.00	1036.00	64.83	9073.00	8932.00	98	0.00	0.00	0	2.50	2.74	100	7000.00	5985.00	86	0.00	0.00	0
मध्य प्रदेश	14.66	29.95	0	0.44	1.07	0.00	61.00	61.00	100.00	692.00	646.00	93.35	3607.00	1826.00	51	42937.00	15995.00	37	3.14	2.16	69	112.00	52.00	46	176.00	170.00	97
मणिपुर	29.09	37.59	0	0.00	1.67	0.00	9.00	9.00	100.00	15.00	30.00	100.00	359.00	354.00	99	436.00	395.00	91	0.69	0.59	86	17.00	17.00	100	0.00	0.00	0
पुडुचेरी	19.00	19.34	0	0.19	0.17	100.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0	760.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
छत्तीसगढ़	18.93	27.60	0	-0.99	-0.06	0.00	223.00	121.00	54.26	887.00	349.00	39.35	11115.00	0.00	0	29619.00	0.00	0	1.10	0.00	0	33.00	0.00	0	140.00	0.00	0
हरियाणा	25.37	29.75	0	0.83	0.46	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4538.00	73.00	2	0.00	0.00	0	45.30	0.52	1	0.00	267.00	100	0.00	0.00	0
उत्तराखंड	16.00	33.25	0	0.04	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.05	0.03	60	8.00	13.00	100	8.00	0.00	0
महाराष्ट्र	20.28	20.27	100	0.28	0.23	100.00	46.00	46.00	100.00	34.00	34.00	100.00	1506.00	1506.00	100	113.00	113.00	100	1.00	3.86	100	930.00	0.00	0	0.00	0.00	0
जम्मू व कश्मीर	46.00	71.70	0	0.68	3.32	0.00	324.00	324.00	100.00	582.00	299.00	51.37	9081.00	535.00	6	0.00	0.00	0	0.40	0.00	0	60.00	0.00	0	23.00	0.00	0

* आंकड़े केवल एटीएंडसी हानियों से संबंधित हैं और एसीएस-एआरआर अंतर केवल सांकेतिक है और मौसमी अंतरों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1995

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

एनईईपीसीओ द्वारा विद्युत उत्पादन

1995. श्रीमती रानी नाराहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016-17 के दौरान नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ) की संस्थापित क्षमता (मेगावाट में) कितनी है;

(ख) वर्ष 2016-17 के दौरान एनईईपीसीओ का सकल विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट में) कितना है;

(ग) वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिट में) कितनी है;

(घ) वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में) कितनी है;

(ङ) वर्ष 2016-17 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ऊर्जा की अत्यधिक मांग (मेगावाट में) कितनी है; और

(च) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ऊर्जा की कितनी कमी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2016-17 (28 फरवरी, 2017* की स्थिति के अनुसार) के दौरान नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) की संस्थापित क्षमता (मेगावाट) 1287 मेगावाट है, जिसमें त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजना (टीजीबीपीपी) त्रिपुरा में सौर पीवी विद्युत परियोजना से 5 मेगावाट शामिल है। इसके अतिरिक्त, नीपको के पास इच्छावर, मध्यप्रदेश (एमपी) में डब्लयूएएआरईई एनर्जी लिमिटेड के साथ 50 मेगावाट का एक ग्रिड इन्टरएक्टिव संयुक्त उद्यम सौर विद्युत संयंत्र है।

(ख) : वर्ष 2016-17 (28 फरवरी, 2017* तक) नीपको का सकल उत्पादन (एमयू) 5095.79 एमयू है, जिसमें टीजीबीपीपी, त्रिपुरा में 5 मेगावाट सौर पीवी विद्युत परियोजना से 6.27 एमयू उत्पादन शामिल है। वर्ष 2016-17 (28 फरवरी, 2017 तक) के दौरान इच्छावर (मध्य प्रदेश) में स्थित डब्लयूएएएनईईपी सोलर प्राइवेट लिमिटेड के 50 मेगावाट की सोलर परियोजना से सकल उत्पादन 79.28 एमयू है।

(ग) से (च) : 2016-17 (28 फरवरी, 2017* तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में ऊर्जा मांग, ऊर्जा उपलब्धता, ऊर्जा की व्यस्ततम मांग और कमी नीचे दी गई है:

राज्य	ऊर्जा मांग	ऊर्जा उपलब्धता	ऊर्जा कमी		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	पूरा नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	%
अरुणाचल प्रदेश	660	646	-14	-2.1	148	140	-8	-5.4
असम	8,387	8,088	-299	-3.6	1,673	1,633	-40	-2.4
मणिपुर	693	670	-23	-3.3	163	163	0	-0.2
मेघालय	1,565	1,565	0	0.0	331	331	0	0.0
मिजोरम	466	455	-11	-2.4	98	98	0	0.0
नागालैंड	687	675	-12	-1.7	148	147	-1	-0.7
त्रिपुरा	1,423	1,403	-20	-1.4	284	284	0	0.0

स्रोत: मासिक विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट, ग्रिड प्रबंधन प्रभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

* फरवरी, 2017 आंकड़े अनंतिम हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1996

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में जल विद्युत उत्पादन

1996. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में सूखे के कारण जल विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत उत्पादन में अत्यधिक कमी के कारण सरकार ने राज्य को केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : तमिलनाडु में जल विद्युत परियोजनाओं का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के लिए समनुरूपी अवधि के दौरान 4072.65 एमयू की तुलना में अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017 तक 2246.96 एमयू है, जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 44.83% कम है।

(ग) से (ङ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत संकट को दूर करने के लिए राज्यों को अपनी स्वयं की योजनाएं बनानी होती हैं। यदि राज्य ऐसी विद्युत के लिए मांग करते हैं, तो केन्द्र सरकार उनकी सहायता करती है। केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों (सीजीएस) से विद्युत के अतिरिक्त आबंटन के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, तमिलनाडु को सीजीएस से आबंटन पिछले वर्षों में 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार 3,766 मेगावाट से 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार, 5,664 मेगावाट तक बढ़ा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1997

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यू.डी.ए.आई.) का कवरेज

1997. श्रीमती विजिला सत्यानंतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, यू.डी.ए.वाई. (उदय), में शामिल हो गए हैं;

(ख) क्या भारत की 92 प्रतिशत से अधिक सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों जिन पर 4 ट्रिलियन रुपये का कर्ज है, को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के द्वारा कवर कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां। अब तक बाइस (22) राज्य और एक (1) संघ राज्य क्षेत्र नामत: आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड़ और पुड्डुचेरी अपने डिस्कामों के वित्तीय और प्रचालनात्मक प्रतिवर्तन के लिए उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हो चुके हैं।

(ख) और (ग) : दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण यूटिलिटियों के 3,75,430.00 करोड़ रुपए के ऋण में से उदय राज्यों पर 3,56,152.00 करोड़ रुपए का ऋण है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1998

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत मांग और आपूर्ति की स्थिति

1998. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्युत की आपूर्ति उसकी मांग की तुलना में दस गुना कम है;

(ख) देश में वर्तमान में बिजली की राज्य-वार मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में सभी किसानों एवं लोगों को पर्याप्त विद्युत प्रदान करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है तथा इस पर कितना व्यय आएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी**,** नहीं। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान वित्तीय (फरवरी, 2017 तक) के दौरान देश में अत्यंत कम मांग आपूर्ति अंतर, ऊर्जा के संबंध में केवल 0.7 प्रतिशत और व्यस्ततम के संबंध में 1.6 प्रतिशत का सीमांत मांग-आपूर्ति अंतर है। वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017) के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ) : केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक राज्य नीति के अनुसार सभी परिवारों/घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति को सभी के लिए 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक संयुक्त पहल की है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने दस्तावेज पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

इन दस्तावेजों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी के लिए 24x7 विद्युत प्राप्त कराने के लिए अपेक्षित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित निधि का ब्यौरा है। विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए निधि का प्रबंध-राज्यों/संघ-राज्यों क्षेत्रों द्वारा उनके स्वयं के स्रोतों, आरईसी और पीएफसी सहित वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा भारत सरकार की योजनाओं जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) तथा विद्युत प्रणाली विकास निधि(पीएसडीएफ) के माध्यम से भी किया जाएगा।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 20.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1998 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2016-17 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2016 - फरवरी, 2017				अप्रैल, 2016 - फरवरी, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	मांग पूरी नहीं की गई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,541	1,541	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	28,862	28,831	-31	-0.1	6,342	6,261	-81	-1.3
हरियाणा	45,324	45,324	0	0.0	9,262	9,262	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,087	8,037	-50	-0.6	1,492	1,492	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	15,929	12,887	-3,042	-19.1	2,675	2,140	-535	-20.0
पंजाब	49,659	49,659	0	0.0	11,408	11,408	0	0.0
राजस्थान	62,282	61,862	-420	-0.7	10,613	10,348	-265	-2.5
उत्तर प्रदेश	98,619	96,816	-1,803	-1.8	17,183	15,501	-1,682	-9.8
उत्तराखंड	12,013	11,937	-76	-0.6	2,037	2,037	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	**3,22,317**	**3,16,897**	**-5,420**	**-1.7**	**53,372**	**52,612**	**-760**	**-1.4**
छत्तीसगढ़	21,193	21,140	-53	-0.3	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	94,366	94,365	-1	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	60,520	60,519	-1	0.0	11,512	11,501	-11	-0.1
महाराष्ट्र	1,26,561	1,26,503	-58	0.0	21,281	21,204	-76	-0.4
दमन व दीव	2,190	2,190	0	0.0	327	327	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	5,544	5,544	0	0.0	784	784	0	0.0
गोवा	3,971	3,969	-2	-0.1	531	531	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**3,14,343**	**3,14,232**	**-111**	**0.0**	**47,962**	**47,844**	**-119**	**-0.2**
आंध्र प्रदेश	49,283	49,242	-41	-0.1	7,969	7,965	-4	-0.1
तेलंगाना	47,601	47,591	-10	0.0	8,927	8,927	0	0.0
कर्नाटक	60,472	60,117	-355	-0.6	10,257	10,242	-14	-0.1
केरल	22,018	21,984	-34	-0.2	4,132	3,996	-135	-3.3
तमिलनाडु	95,036	95,017	-19	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	2,316	2,313	-3	-0.1	371	368	-3	-0.7
लक्षद्वीप#	44	44	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**2,76,729**	**2,76,265**	**-464**	**-0.2**	**42,052**	**41,610**	**-442**	**-1.1**
बिहार	23,616	23,150	-466	-2.0	3,883	3,759	-125	-3.2
डीवीसी	17,043	16,909	-134	-0.8	2,721	2,721	0	0.0
झारखंड	7,274	7,223	-51	-0.7	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	24,343	24,341	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	44,342	44,214	-128	-0.3	7,931	7,886	-45	-0.6
सिक्किम	436	436	0	0.0	112	112	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	220	165	-55	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	**1,17,057**	**1,16,277**	**-780**	**-0.7**	**18,790**	**18,596**	**-194**	**-1.0**
अरुणाचल प्रदेश	660	646	-14	-2.1	148	140	-8	-5.4
असम	8,387	8,088	-299	-3.6	1,673	1,633	-40	-2.4
मणिपुर	693	670	-23	-3.3	163	163	0	-0.2
मेघालय	1,565	1,565	0	0.0	331	331	0	0.0
मिजोरम	466	455	-11	-2.4	98	98	0	0.0
नागालैंड	687	675	-12	-1.7	148	147	-1	-0.7
त्रिपुरा	1,423	1,403	-20	-1.4	284	284	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**13,879**	**13,493**	**-386**	**-2.8**	**2,487**	**2,475**	**-12**	**-0.5**
अखिल भारत	**10,44,325**	**10,37,163**	**-7,162**	**-0.7**	**1,59,542**	**1,56,934**	**-2,608**	**-1.6**

लक्षदवीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1999

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

1999. श्री विष्णु चरण दासः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा तथा उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में कितने तथा किन-किन गाँवों का अभी भी विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) इन दो राज्यों में सभी गाँवों के विद्युतीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक मांगी गई तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत गांव थे। दिनांक 28.02.2017 के अनुसार, इनमें से 12,364 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। ओडिशा और उत्तराखण्ड सहित गैर-विद्युतीकृत गांवों के राज्य-वार नाम http://garv.gov.in/dashboard/ue पर उपलब्ध है। गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) सहित विभिन्न कार्यों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। ग्रामीण विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें विशिष्ट लक्ष्यों के द्वारा ऑफ ग्रिड समाधान, पर्याप्त निधि उपलब्धता, राज्यों/डिस्कामों की सहायता, सख्त निगरानी, वेब-आधारित निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता शामिल है।

ओडिशा के लिए 8991.07 करोड़ रुपए की कुल लागत से आरई घटक सहित 93 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। उत्तराखण्ड के लिए 1630.29 करोड़ रुपए की कुल लागत से आरई घटक सहित 26

परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। दिनांक 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार, इन राज्यों को क्रमश: 4633 करोड़ रुपए और 757.11 करोड़ रुपए की एक राशि जारी की गई हैं।

बाधाओं के निकट और प्रभावी निगरानी और शीघ्रतापूर्वक समाधान के लिए जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर सुदृढ़ संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है। डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं का जिला स्तर पर माननीय वरिष्ठ संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति अर्थात दिशा (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शासित) द्वारा जिला स्तर पर समीक्षा भी की जाती है।

(ग) : विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने और अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर**,** संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए किश्तों में निधियां जारी की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत जारी की गई राज्य-वार निधियां **अनुबंध-**II में दी गई हैं।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 20.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1999 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	1,229
2	असम	924
3	बिहार	552
4	छत्तीसगढ़	442
5	हिमाचल प्रदेश	7
6	जम्मू व कश्मीर	102
7	झारखंड	850
8	कर्नाटक	30
9	मध्य प्रदेश	103
10	मणिपुर	85
11	मेघालय	230
12	मिजोरम	19
13	नागालैंड	21
14	ओडिशा	1,284
15	राजस्थान	69
16	त्रिपुरा	4
17	उत्तर प्रदेश	65
18	उत्तराखंड	60
19	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	**6,088**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 20.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1999 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गईं निधियां

क्रम सं.	राज्य का नाम	2014-15	2015-16	2016-17 (28.2.2017 तक)
1	आंध्र प्रदेश	1897	1962	7562
2	अरुणाचल प्रदेश	6034	3098	5335
3	असम	11462	33801	22545
4	बिहार	148980	71022	124862
5	छत्तीसगढ़	8111	24731	4273
6	गुजरात	1236	5779	3100
7	हरियाणा			
8	हिमाचल प्रदेश		2835	
9	जम्मू व कश्मीर			
10	झारखंड	942		31296
11	कर्नाटक	2596	3896	2833
12	केरल	1537		7512
13	मध्य प्रदेश	35198	43483	22242
14	महाराष्ट्र		4327	6964
15	मणिपुर	8766	704	
16	मेघालय			850
17	मिजोरम		1860	96
18	नागालैंड		4831	717
19	ओडिशा	1553	51423	69367
20	पंजाब			
21	राजस्थान		25252	19922
22	सिक्किम			
23	तमिलनाडु		8262	
24	तेलंगाना	344	533	2333
25	त्रिपुरा	4819	4938	3656
26	उत्तर प्रदेश	112107	123766	63743
27	उत्तराखंड		7121	
28	पश्चिम बंगाल	14503	30519	6172

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2000

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर किया गया व्यय

2000. चौधरी सुखराम सिंह यादवः

श्रीमती छाया वर्माः

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत मंत्रालय के अधीन विभिन्न कंपनियों द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) इन वर्षों में व्यय राशि का राज्य-वार एवं जिले-वार तथा कार्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कम निधियां जारी की गई हैं जिससे राज्य के लोग कम लाभान्वित हुए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2001

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

एल.ई.डी. बल्बों के कारण की गई बिजली की बचत

2001. डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत सरकार की एल.ई.डी. लगाने वाली योजना के अंतर्गत देश में वर्ष 2015-16 में कुल कितने वाट बिजली की बचत हुई है;

(ख) क्या सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा है कि वर्ष 2015-16 तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने विद्युत उपभोक्ताओं ने एल.ई.डी. इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हैं; और

(ग) सरकार 2015-16 में कुल कितना बजट इस योजना पर राजसहायता के रूप में खर्च कर चुकी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम, जिसे सभी के लिए वहनीय एलईडी (उजाला) द्वारा उन्नत ज्योति के नाम से जाना जाता है, 2015 में शुरू किया गया है। जो विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 के दौरान उजाला स्कीम के अन्तर्गत, ईईएसएल द्वारा लगभग 9 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 11.719 बिलियन किलोवाट घण्टा प्रतिवर्ष की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है।

(ख) : वर्ष 2015-16 के दौरान एलईडी बल्बों का प्रयोग शुरू करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) : यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है और यह भारत सरकार से किसी बजटीय आबंटन के बिना चलाया जाता है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 20.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2001 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

नीचे सूची में दिए अनुसार 2015-16 तक एलईडी बल्बों का उपयोग कर रहे विद्युत उपभोक्ताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्याः

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2015-तक एलईडी बल्बों का उपयोग कर रहे विद्युत 16 उपभोक्ताओं कीअनुमानित संख्या**
1	आंधर प्रदेश	48,43,799
2	असम	1,09,750
3	बिहार	2,67,488
4	छत्तीसगढ़	2,28,305
5	दादरा व नागर हवेली	7,500
6	दिल्ली	15,24,204
7	गुजरात	1,250
8	हरियाणा	1,696
9	हिमाचल प्रदेश	13,95,584
10	झारखंड	13,01,033
11	कर्नाटक	16,02,714
12	केरल	16,62,575
13	लक्षद्वीप	25,000
14	मध्य प्रदेश	1,67,764
15	महाराष्ट्र	32,26,658
16	ओडिशा	2,22,791
17	पुडुचेरी	1,52,313
18	पंजाब	14,420
19	राजस्थान	25,96,955
20	तमिलनाडु	15,254
21	तेलंगाना	1,24,966
22	उत्तराखंड	6,39,501
23	उत्तर प्रदेश	23,85,760
24	पश्चिम बंगाल	41,870
	कुल	**225,59,146**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2002

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

स्मार्ट पावर ग्रिड प्रौद्योगिकी की सुभेद्यता

2002. श्री एन. गोकुलकृष्णनः

डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किए गए एक अध्ययन के अनुसार स्मार्ट पावर ग्रिड प्रौद्योगिकी हैक किए जाने के प्रति प्रवण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई एहतियात बरती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने विद्युत प्रणालियों में साइबर सुरक्षा खतरे को कम करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के समान सेक्टोरल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी) का गठन किया है।

भारत सरकार ने विद्युत यूटिलिटियों तथा मुख्य पणधारकों को साइबर खतरों के लिए सतर्कता बरतने हेतु जागरूक बनाने के लिए एमईआईटीवाई (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा एनसीआईआईपीसी (नेशनल क्रिटिकल इंफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर) के माध्यम से कई कदम उठाए हैं। विद्युत प्रणालियों में साइबर सुरक्षा के लिए विद्युत यूटिलिटियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए चार सेक्टोरल कंप्यूटर इमरजेंसी टीमों (सीईआरटी), सीईआरटी (पारेषण), सीईआरटी (थर्मल), सीईआरटी (हाइड्रो) तथा सीईआरटी (वितरण) का भी गठन किया है। स्मार्ट ग्रिड के संबंधित पणधारकों को डाटा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना की पहचान करने तथा इंड टू इंड इंक्रिप्शन का प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

सभी यूटिलिटियों को साइबर सुरक्षा से संबंधित संगठनात्मक प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2008 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत की गई सिफारिश के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन करने के लिए अपने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नोडल वरिष्ठ कार्यपालक की पहचान करने को कहा गया है।

****